आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मु0नं0 85/16

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

1. शीशराम
2. रामनिवास
3. मदनलाल
4. राजेन्द्र कुमार
5. प्यारे राम
6. भागोती देवी

समस्त पुत्र/पत्नी सहदेव जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

--------- प्रार्थीगण

बनाम

1. रामस्वरूप
2. संमन्दर
3. रणजीत
4. रूघवीर
5. सुरेश
6. परमेश्वरी

समस्त पुत्र/पत्नी स्व0 बनवारी लाल जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

7. रोहिताश
8. ओमप्रकाश
9. देशराज
10. राजेश
11. मणी देवी

समस्त पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 सुगनाराम जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

12. लादूराम पुत्र धनाराम जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. पतासी पत्नी लिछमन जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. गिरधारी पुत्र लिछमन जाति मीणा निवासीगण डांगर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

------अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:27:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम डांगर की सरहद में भूमि ख0न0 183 रकबा 0.65 है0, ख0न0 184 रकबा 1.62 है0, ख0न0 188 रकबा 1.05 है0, ख0न0 189 रकबा 1.09 है0 प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि में प्रार्थीगण ने कुआ व मकान बनाकर आबाद है जिसमें आने-जाने के लिए प्रार्थीगण की भूमि में को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 186 रकबा 1.51 है0, ख0न0 187 रकबा 1.71 है0 स्थित ग्राम डांगर में से 10 फिट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है को नया रास्ता कायम करने हेतु यह प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251ए टैनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रस्तुत समन्न तलवाने से अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया। तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जॉच रिपोर्ट की तहरीर जारी की गई। अप्रार्थीगण की तामील होने पर अप्रार्थी न0 09,12 उपस्थित शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई उसके बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 08 व 09 हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र राजीनामा पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पक्षकारान राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार जोत के बदले जोत लेकर रास्ता कायम करवाने पर सहमत है। इसके बाद तहसीलदार सूरजगढ़ से राजीनामा के मुताबिक मौका जॉच रिपोर्ट पुनः मगवाई गई । राजीनामा के मुताबिक मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.01.2021 को प्राप्त हुई जो शामील पत्रावली की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई । उभयपक्ष ने अपनी बहस में राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता कायम करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 188,189 में आने जाने के लिए जॉच रिपोर्ट में दर्ज रास्ते से कम दुरी का दुसरा कोई निकटतम रास्ता नहीं है तथा ना ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा उभयपक्ष मौका जॉच रिपोर्ट व राजीनामे के अनुसार नया रास्ता कायम करवाने पर सहमत है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2023.08.06 16:27:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिये तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट क्रमांक

Scanned with CamScanner

राजस्व/2021/29 दिनांक 21.01.2021 के मुताबिक प्रस्तुत नजरी नक्शा तथा राजीनामे के मुताबिक भूमि ख0न0 186,187 स्थित ग्राम डांगर में बिन्दु ए व बी तक लम्बाई 140 मीटर, चौड़ाई 2.74 मीटर कुल 384 वर्ग मीटर भूमि ख0न0 186 में से 247 वर्गमीटर तथा खसरा न0 187 में से 137 वर्गमीटर यानी कुल 384 वर्गमीटर कम की जाकर नया रास्ता कायम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस रास्ते में कायम की गई भूमि 384 वर्गमीटर के बदले ख0न0 188 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 326 वर्गमीटर तथा ख0न0 189 मे से उत्तरी पश्चिमी कोने में सीमा के सहारे–सहारे 58 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थीगण को देनी पड़ेगी जिसे नजरी नक्शे में मार्क सी से डी दर्शायी गई है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि का रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/29 दिनांक 21.01.2021 व प्रार्थना पत्र राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:27:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner